



2026:AHC:66132-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

पहली अपील दोषपूर्ण संख्या- 92 वर्ष 2026

चक्रधर शुक्ल अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती रजनी शुक्ला @ नीरू शुक्ला प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: गौरव सिंह, सायुज्य सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता:

न्यायालय सं - 2

माननीय न्यायमूर्ति श्री अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक सरन

सिविल विविध विलंब माफी आवेदन संख्या-1 वर्ष 2026

1. सुश्री आयुषी गौतम ने आवेदक/अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री सायुज्य सिंह ब्रीफ होल्डर को सुना।
2. दिनांक 23.02.2026 के आदेश के अनुसार, जिसमें देरी और अपील की माफी के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, अपीलकर्ता द्वारा प्रक्रिया शुल्क का भुगतान किया गया था और नोटिस जारी किया गया था। कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 28.03.2026 में दर्ज किया गया है कि सामान्य प्रक्रिया द्वारा नोटिस की सेवा में प्रक्रिया सर्वर "लेने से इनकार किया" की रिपोर्ट है। एक प्रति नोटिस मकान सकूनत चम्पा।", जो दर्शाता है कि प्रतिपक्षी ने इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और प्रतिपक्षी के निवास स्थान पर नोटिस लगाकर नोटिस की सेवा पूरी कर ली गई है। इन परिस्थितियों में, मामला अब प्रतिपक्षी के खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ेगा।



3. तथ्य यह है कि प्रतिपक्षी को इन कार्यवाहियों में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, इसके बावजूद, इस न्यायालय को अपने गुण-दोष के आधार पर देरी की माफी के आवेदन की मूल्यांकन करनी होगी। निर्विवाद रूप से, इस मामले में 822 दिनों की देरी हुई है। देरी की माफी के आवेदन के साथ हलफनामे से पता चलता है कि आक्षेपित आदेश प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 19.08.2023 को वैवाहिक मामला संख्या-507 वर्ष 2015 (चक्रधर शुक्ला बनाम श्रीमती रंजनी शुक्ला @ नीरू शुक्ला) में पारित किया गया था। विचारण न्यायालय के सामने, अपीलकर्ता यहां वादी था और विचारण न्यायालय ने भी प्रतिपक्षी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की है क्योंकि वह इस न्यायालय के समक्ष भी नोटिस तामील के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुई थी।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों की मूल्यांकन की और गुण-दोष के आधार पर माना कि अपीलकर्ता परित्याग और क्रूरता का मामला बनाने में सक्षम नहीं था। परित्याग नहीं किया गया था क्योंकि इसे नहीं माना जा सकता था क्योंकि प्रतिपक्षी द्वारा अपीलकर्ता की सोसायटी छोड़ने के बाद दो साल बीत नहीं गए थे। क्रूरता के संबंध में, अपीलकर्ता और अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए गए गवाहों के बयानों ने विचारण न्यायालय को यह विश्वास नहीं दिलाया कि प्रतिपक्षी द्वारा की गई क्रूरता, यदि बिल्कुल भी, ऐसी प्रकृति की थी जिसके लिए तलाक दिया जा सकता है। और इसलिए उक्त कार्यवाही को 19.08.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. अपीलकर्ता का यह मामला है कि उसे 20.11.2020 को अपने पिता की मृत्यु के बाद ही अपने मामले को खारिज करने के बारे में पता चला। उन्होंने आवेदन में आगे कहा है कि परिवार वित्तीय संकट से जूझ रहा था क्योंकि अपीलकर्ता के पिता परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे और इसलिए वह विचारण न्यायालय के समक्ष दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही पर नजर रखने में असमर्थ थे। उक्त आवेदन में यह भी कहा गया है कि उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 19.08.2023 को पारित करने के बारे में अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष मामले को संभालने वाले उसके अधिवक्ता द्वारा कभी भी सूचित किया गया था। लेकिन यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अधिवक्ता की देरी की



माफी के आवेदन के साथ कोई हलफनामा नहीं है कि वह अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष मामले को खारिज करने के बारे में सूचित करने में विफल रहा था।

6. देरी की माफी के लिए उक्त आवेदन में यह भी कहा गया है कि जैसे ही अपीलकर्ता को उसके खिलाफ पारित आक्षेपित आदेश के बारे में जानकारी मिली, उसने कानूनी सलाह के लिए अपने अधिवक्ता से संपर्क किया और आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के बाद अधिवक्ता ने उसे अधिनियम की धारा 19 के तहत पहली अपील दायर करके उक्त आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया। हालांकि, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा ऐसी कोई तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था जिस पर अपीलकर्ता सलाह के लिए अधिवक्ता से मिला हो। यह आवेदक/अपीलकर्ता का भी मामला है कि उसने अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए जिला न्यायालय के प्रतिलिपि अनुभाग से संपर्क किया था और कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया था कि चूंकि मामला खारिज कर दिया गया था और अभिलेखों अभिलेखों कक्ष को भेज दिया गया था, इसलिए अभिलेखों खोजने में कुछ समय लगेगा।

7. प्रस्तर-9 में, आवेदक/अपीलकर्ता ने कहा है कि और उसने फिर से कॉपी सेक्शन से संपर्क किया और 03.09.2025 को फोलियो के लिए आवेदन किया। उन्होंने आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए 03.09.2025 को दूसरा आवेदन दायर किया था, लेकिन फिर भी उन्हें न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया कि वे अभिलेखों खोजने में असमर्थ थे। उक्त आवेदन के प्रस्तर-10 में, आवेदक/अपीलकर्ता ने कहा कि उसने 01.12.2025 को फिर से प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उसे 15.12.2025 को यानी दूसरा आवेदन दाखिल करने के दो सप्ताह के भीतर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई।

8. यह तीसरी बार था जब उन्होंने 01.12.2025 को आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया था कि उन्हें 15.12.2025 को दस्तावेज की प्रमाणित प्रति मिली। इसलिए, यदि कोई उक्त आवेदन में किए गए कथन को देखता है, तो भी यह स्पष्ट है कि प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन 03.09.2025 से पहले विचारण न्यायालय के समक्ष कभी भी दायर नहीं किया गया था।



9. देरी की माफी के लिए उक्त आवेदन को पढ़ने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने 19.08.2023 के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए वर्ष 2025 में पहली बार अपने अधिवक्ता से भी संपर्क किया था। उक्त देरी के लिए अपीलकर्ता द्वारा दिया गया तर्क 20.11.2020 को उसके पिता की मृत्यु है, जो उस मामले के अभिलेखों से गलत साबित होता है जो अपीलकर्ता द्वारा स्वयं दायर किया गया है। 04.04.2022 और 19.04.2022 के आदेश पत्रक से पता चलता है कि अपीलकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था क्योंकि उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दिखाते हुए आदेश पत्र के मार्जिन पर हस्ताक्षर किए थे। आदेश से यह भी पता चलता है कि 04.04.2022 को "बुलाया गया, याचिकाकर्ता उपस्थित था, प्रतिपक्षी अनुपस्थित था। 4-सी और 6-सी पर सुनवाई हुई, आदेश के लिए 19.04.2022 को रखा गया"।

10. विचारण न्यायालय के पेज संख्या-71 पर दिए गए आदेश पत्र से पता चलता है कि अंतिम आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले विचारण न्यायालय के समक्ष अंतिम कार्यवाही 04.08.2023 को हुई थी, जहां विचारण न्यायालय ने पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया है और मामले को 19.08.2023 को अंतिम आदेश के लिए रखा है और अपीलकर्ता चक्रधर शुक्ला ने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता 04.08.2023 के बारे में अच्छी तरह से जानता था और अंतिम आदेश/निर्णय के लिए वह तारीख 19.08.2023 तय की गई थी। देरी की माफी के लिए आवेदन में दिए गए अन्य सभी कारण विचारण न्यायालय की कार्यवाही के अभिलेखों से गलत साबित होते हैं, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता को 04.08.2023 की अंतिम तिथि तक कार्यवाही के बारे में पता था और वह 19.08.2023 को अपने मामले को खारिज करने के आदेश से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसकी ओर से ढिलाई के कारण देरी हुई है, जिसे इस मामले में पर्याप्त रूप से समझाया नहीं गया है। कानूनी कहावत 'विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनिंट' का अर्थ है कि कानून सतर्क लोगों की सहायता करता है, न कि अकर्मण्य की, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए।



11. इन परिस्थितियों में, देरी की माफी के लिए आवेदन **खारिज** किया जाता है।
नतीजतन वर्तमान पहली अपील भी **खारिज** की जाती है।

मार्च 30, 2026

आरकेजी

(न्यायमूर्ति विवेक सरन) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

Translated Version. Not for Legal Use.